

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि-29.10.2018

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या - 08/2018

(सहायक अभियन्ता (नगर विकास एवं आवास विभाग) सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-810 दिनांक-29.01.2018 द्वारा झारखण्ड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (असैनिक) एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अध्याचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध) आमंत्रित किए जाते हैं।

1. (i) पद का नाम - सहायक अभियन्ता (असैनिक) एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)

(ii) विभाग द्वारा अध्याचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है:-

SL. No.	Department	Name of Post	Cut off Date (For counting age)	Total vacancies	Vertical Reservation					Horizontal Reservation against total vacancy				
					UNR	SC	ST	BC-I	BC-II	Women (EXCEPT UNR)	Sports	Handicapped		
												Blind	Deaf/Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	नगर विकास एवं आवास विभाग	सहायक अभियन्ता (असैनिक)	01.08.2018	48	24	05	13	04	02	01	01	01	01	00
2	नगर विकास एवं आवास विभाग	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	01.08.2018	09	05	01	02	01	00	00	00	01	00	00

नोट:- (क) कोटिवार रिक्तियों की संख्या अध्याची विभाग के अनुरोध के अनुसार घट-बढ़ सकती है।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं तो इन्हें मेधा क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात् बैकलॉग नहीं होगा।

2. वेतनमान :- 9300-34800 ग्रेड वेतन-5400

3. पद :- स्थायी

4. परीक्ष्यमान अवधि :- 02 (दो) वर्ष

5. उम्र गणना की सन्दर्भ तिथि :- 01.08.2018

6. (क) न्यूनतम उम्र सीमा :- 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-609 दिनांक-25.01.2016 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)	37 वर्ष
3.	महिला [अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)]	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

नोट:-

(i) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 (पांच) वर्षों की छूट देय है।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Service men) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट देय है।

7. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/यांत्रिक में स्नातक।

नोट- अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यतः प्राप्त कर लिये हों।

8. सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:-

(क) अर्हताधारी अभ्यर्थियों की लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ख) यदि दो अथवा दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान हो तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता तथा इसके उपरान्त भी यदि प्राप्तांक एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

9. न्यूनतम अर्हतांक:-

सामान्य वर्ग	-	40%
पिछड़ा वर्ग	-	36.5%
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-I)	-	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	-	32%

अन्तर्वीक्षा के लिए भी उपरोक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रम:-

1. The Examination shall be conducted according to the following plan:-

Part I - The written Examination will comprise of two sections - Section I consisting only of objective type of questions and Section II of conventional papers. Both Sections will cover the entire syllabus of the relevant engineering disciplines viz. Civil Engineering, Mechanical Engineering. The standard and syllabi prescribed for these papers are given in Schedule to the Appendix. The details of the written Examination i.e. subject, duration and maximum marks allotted to each subject are given in para 2 below.

Part II- Personality test carrying a maximum of 200 marks of such of the candidates who qualify on the basis of the written examination.

2. The following will be the subjects for the written examination:-

CIVIL ENGINEERING

Subject	Duration	Maximum Marks
Section I-Objective Papers		
General Ability Test (Part A: General English) (Part B: General Studies)	2 hrs.	200
Civil Engineering-Paper I	2 hrs.	200
Civil Engineering-Paper II	2 hrs.	200
Section II- Conventional Papers		
Civil Engineering – Paper I	3 hrs.	200
Civil Engineering – Paper II	3 hrs.	200
Total		1000

MECHANICAL ENGINEERING

Subject	Duration	Maximum Marks
Section I-Objective Papers		
General Ability Test (Part A: General English) (Part B: General Studies)	2 hrs.	200
Mechanical Engineering-Paper I	2 hrs.	200
Mechanical Engineering-Paper II	2 hrs.	200
Section II-Conventional Papers		
Mechanical Engineering-Paper I	3 hrs.	200
Mechanical Engineering- Paper II	3 hrs.	200
Total		1000

NOTE : Candidates are advised to read carefully special instructions to candidates for conventional type tests and objective type tests given in Appendix including the procedure regarding filling in the Answer Sheet of objective type tests in the Examination Hall.

3. In the Personality Test special attention will be paid to assess the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character.
4. Conventional papers must be answered in English. Question papers will be set in English only.
5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, an extra time of twenty minutes per hour shall be permitted for the candidates with locomotor disability/cerebral palsy where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of functions (minimum of 40% impairment) in the conventional type paper.
6. The minimum qualifying marks shall be fixed in any or all the papers of the examination in accordance with the resolution no. 13026 dated 27.11.2012 of the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Govt. of Jharkhand. The Objective Type papers as contained in Section-I of the Plan of the Examination will be evaluated first and evaluation of

the Conventional Type Papers contained in Section-II of the Plan of Examination will be done only of those candidates who obtain the minimum qualifying marks in Objective Types Papers, as fixed by the Commission.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.
8. In the question papers, wherever required, SI units will be used.

NOTE : Candidates will be supplied with standard tables/charts in SI units in the Examination hall for reference purpose, wherever considered necessary.

9. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay) type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination hall is not permitted. It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering Objective Type Paper (Test booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.
10. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g.1,2,3,4,5,6, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE TO APPENDIX

Standard and Syllabi

The standard of paper in General Ability Test will be such as may be expected of an Engineering/Science Graduate. The standard of papers in other subjects will approximately be that of an Engineering Degree Examination of an Indian University. There will be no practical examination in any of the subjects.

GENERAL ABILITY TEST

Part A: General English. The question paper in General English will be designed to test the candidate's understanding of English and workmanlike use of words.

Part B: General Studies: The paper in General Studies will include knowledge of current events and of such matters as of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

CIVIL ENGINEERING

PAPER-I

(For both objective and conventional type papers)

1. BUILDING MATERIALS

Timber : Different types and species of structural timber, density-moisture relationship, strength in different **directions**, defects, influence of defects on permissible stress, preservation, dry and wet rots, codal provisions for design, Plywood.

Bricks : Types, Indian Standard classification, absorptions, saturation factor, strength in masonry, influence of mortars strength on masonry strength.

Cement: Compounds of, different types, setting times, strength. Cement Mortar : Ingredients, proportions, water demand, mortars for plastering and masonry. Concrete: Importance of W/C Ratio, Strength, ingredients including admixtures, workability, testing for strength, elasticity, non-destructive testing, mix design methods.

2. SOLID MECHANICS

3. Elastic constants, stress, plane stress, Mohr's circle of stress, strains, plane strain, Mohr's **circle** of strain, combined stress; Elastic theories of failure; Simple bending, shear; Torsion of circular and rectangular sections and simple members.

4. STRUCTURAL ANALYSIS

Analysis of determinate structures – different methods including graphical methods. Analysis of indeterminate skeletal frames – moment distribution, slope-deflection, stiffness and force methods, energy methods, Muller-Breslau principle and application. Plastic analysis of indeterminate beams and simple frames – shape factors.

5. DESIGN OF STEEL STRUCTURES

Principles of working stress method. Design of connections, simple members, Built-up sections and frames. Design of Industrial roofs: Principles of ultimate load design. Design of simple members and frames.

6. DESIGN OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES

Limit state design for bending, shear, axial compression and combined forces. Codal provisions for slabs, beams, walls and footings. Working stress method of design of R.C. members. Principles of prestressed concrete design, materials, methods of prestressing, losses. Design of simple members and determinate structures. Introductions to prestressing of indeterminate structures.

Design of brick masonry as per I.S. Codes.

7. CONSTRUCTION PRACTICE, PLANNING AND MANAGEMENT

Concreting Equipment: Weight Batcher, Mixer, vibrator, batching plant, concrete pump. Cranes, hoists, lifting equipment.

Earthwork Equipment.

Power shovel, hoe, dozer, dumper, trailers and tractor, rollers, sheep foot rollers, pumps.

Construction, Planning and Management:

Bar chart, linked bar chart, work-break down structures, Activity – on – arrow diagrams. Critical path, probabilistic activity durations; Event-based networks.

PERT network: Time-cost study, crashing; Resource allocation.

CIVIL ENGINEERING

PAPER-II

(For both objective and conventional type papers)

1. (a) FLUID MECHANICS, OPEN CHANNEL FLOW, PIPE FLOW:

Fluid Properties, Pressure, Thrust, Buoyancy; Flow Kinematics; Integration of flow equations; Flow measurement; Relative motion; Moment of momentum; Viscosity, Boundary layer and Control, Drag, Lift; dimensional Analysis, Modelling; Cavitation; Flow oscillations; Momentum and Energy principles in Open channel flow, Flow controls, Hydraulic jump, Flow sections and properties; Normal flow, Gradually varied flow; Surges; Flow development and losses in pipe flows, Measurements; Siphons; Surges and Water hammer; Delivery of Power Pipe networks.

(b) HYDRAULIC MACHINES AND HYDROPOWER:

Centrifugal pumps, types, performance parameters, scaling, pumps in parallel; Reciprocating pumps, air vessels, performance parameters; Hydraulic ram; Hydraulic turbines, types, performance

parameters, controls, choice; Power house, classification and layout, storage, pondage, control of supply.

2. (a) HYDROLOGY :

Hydrological cycle, precipitation and related data analyses, PMP, unit and synthetic hydrographs; Evaporation and transpiration; Floods and their management, PMF; Streams and their gauging; River morphology; Routing of floods; Capacity of Reservoirs.

(b) WATER RESOURCES ENGINEERING :

Water resources of the globe: Multipurpose uses of Water: Soil-Plant-Water relationships, irrigation systems, water demand assessment; Storages and their yields, ground water yield and well hydraulics; Waterlogging, drainage design; Irrigation revenue; Design of rigid boundary canals, Lacey's and Tractive force concepts in canal design, lining of canals; Sediment, transport in canals; Non-Overflow and overflow sections of gravity dams and their design, Energy dissipaters and tailwater rating; Design of headworks, distribution works, falls, cross-drainage works, outlets; River training.

3. ENVIRONMENTAL ENGINEERING

(a) WATER SUPPLY ENGINEERING :

Sources of supply, yields, design of intakes and conductors; Estimation of demand; Water quality standards; Control of Water-borne diseases; Primary and secondary treatment, detailing and maintenance of treatment units; Conveyance and distribution systems of treated water, leakages and control; Rural water supply; Institutional and industrial water supply.

(b) WASTE WATER ENGINEERING:

Urban rain water disposal; Systems of sewage collection and disposal; Design of sewers and sewerage systems; pumping; Characteristics of sewage and its treatment, Disposal of products of sewage treatment, streamflow rejuvenation Institutional and industrial sewage management; Plumbing Systems; Rural and semi-urban sanitation.

(c) SOLID WASTE MANAGEMENT

Source, classification, collection and disposal; Design and Management of landfills.

(d) AIR AND NOISE POLLUTION AND ECOLOGY:

4 (a) SOIL MECHANICS:

Properties of soil, classification and interrelationship: Compaction behavior, methods of compaction and their choice; Permeability and seepage, flow nets, Inverted filters; Compressibility and consolidation; Shearing resistance, stresses and failure; soil testing in laboratory and in-situ; Stress path and applications; Earth pressure theories, stress distribution in soil; soil exploration, samplers, load tests, penetration tests.

(b) FOUNDATION ENGINEERING:

Types of foundations, Selection criteria, bearing capacity, settlement, laboratory and field tests; Types of piles and their design and layout, Foundations on expansive soils, swelling and its prevention, foundation on swelling soils.

5. (a) SURVEYING:

Classification of surveys, scales, accuracy; Measurement of distances – direct and indirect methods; optical and electronic devices; Measurement of directions, prismatic compass, local attraction; Theodolites – types; Measurement of elevations – Spirit and trigonometric levelling; Relief representation; Contours; Digital elevation modelling concept; Establishment of control by triangulations and traversing – measurements and adjustment of observations, computation of coordinates; Field astronomy, Concept of global positioning system; Map preparation by plane tabling and by photogrammetry; Remote sensing concepts, map substitutes.

(b) TRANSPORTATION ENGINEERING :

Planning of highway systems, alignment and geometric design, horizontal and vertical curves, grade separation; Materials and construction methods for different surfaces and maintenance: Principles of pavement design; Drainage. Traffic surveys, Intersections, signalling; Mass transit systems, accessibility, networking. Tunnelling, alignment, methods of construction, disposal of muck, drainage, lighting and ventilation, traffic control, emergency management. Planning of railway systems, terminology and designs, relating to gauge, track, controls, transits, rolling stock, tractive power and track modernisation; Maintenance; Appurtenant works; Containerisation. Harbours – layouts, shipping lanes, anchoring, location identification; Littoral transport with erosion and deposition; sounding methods; Dry and Wet docks, components and operational Tidal data and analyses. Airports – layout and orientation; Runway and taxiway design and drainage management; Zoning laws; Visual aids and air traffic.

MECHANICAL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

PAPER-I

1. **Thermodynamics, Cycles and IC Engines** : Basic concepts, Open and Closed systems, Heat and work, Zeroth, First and Second Law, Application to non-flow and Flow processes, Entropy, Availability, Irreversibility and Tds relations. Claperyron and real gas equations, Properties of ideal gases and vapours, Standard vapour, Gas power and Refrigeration Cycles. Two stage compressor. C-I and S.I Engines. Pre-ignition, Detonation and Diesel-knock, Fuel injection and Carburation, Supercharging. Turbo-prop and Rocket engines, Engine Cooling, Emission & Control, Flue gas analysis, Measurement of Calorific values. Conventional and Nuclear fueis, Elements of Nuclear power production.
2. **Heat Transfer and Refrigeration and Air-conditioning** : Modes of heat transfer, One dimensional steady and unsteady conduction. Composite slab and Equivalent Resistance. Heat dissipation from extended surfaces, Heat exchangers, Overall heat transfer co-efficient, Empirical correlations for heat transfer in laminar and turbulent flows and for free and forced Convection, Thermal boundary layer over a flat plate, Fundamentals of diffusive and connective mass transfer, Black body and basic concepts in Radiation, Enclosure theory, Shape factor, Net work analysis. Heat pump and Refrigeration cycles and systems, Refrigerants. Condensers, Evaporates and Expansion devices, Psychrometry, Charts and application to air conditioning, Sensible heating and cooling, Effective temperature, Comfort indices, Load calculations, Solar refrigeration, controls, Duct design.
3. **Fluid Mechanics.**

Properties and classification of fluids, Manometry, forces on immersed surfaces, Center of pressure, Buoyancy, Elements of stability of floatation bodies. Kinematics and Dynamics. Irrotational and incompressible. Inviscid flow. Velocity potential, Pressure field and Forces on immersed bodies. Bernoulli's equation, Fully developed flow through pipes, Pressure drop calculations, Measurement of flow rate and Pressure drop. Elements of boundary layer theory, Integral approach, Laminar and turbulent flows, Separations. Flow over weirs and notches. Open channel flow, Hydraulic jump. Dimensionless numbers, Dimensional analysis, Similitude and modeling. One-dimensional isentropic flow, Normal shock wave, Flow through convergent-divergent ducts, Oblique shock-wave Rayleigh and Fanno lines.

4. Fluid Machinery and Steam Generators.

Performance, Operation and control of hydraulic Pump and impulse and reaction Turbines, Specific speed, Classification. Energy transfer, Coupling, Power transmission, Steam generators Fire-tube and water-tube boilers. Flow of steam through Nozzles and Diffusers, Wetness and condensation. Various types of steam and gas Turbines, Velocity diagrams. Partial admission. Reciprocating, Centrifugal and axial flow Compressors, Multistage compression, role of Mach Number, Reheat, Regeneration, Efficiency, Governance.

MECHANICAL ENGINEERING

PAPER – II

(For both objective and conventional type papers)

5. THEORY OF MACHINES:

Kinematic and dynamic analysis of planer mechanisms. Cams. Gears and gear trains. Flywheels. Governors. Balancing of rigid rotors and field balancing. Balancing of single and multi cylinder engines, Linear vibration analysis of mechanical systems. Critical speeds and whirling of shafts Automatic controls.

6. MACHINE DESIGN :

Design of Joints : cotters, keys, spines, welded joints, threaded fasteners, joints formed by interference fits. Design of friction drives : couplings and clutches, belt and chain drives, power screws. Design of Power transmission systems : gears and gear drives shaft and axle, wire ropes. Design of bearings : hydrodynamics bearings and rolling element bearings.

7. STRENGTH OF MATERIALS

Stress and strain in two dimensions, Principal stresses and strains, Mohr's construction, linear elastic materials, isotropy and anisotropy, stress-strain relations, uniaxial loadings, thermal stresses. Beams : Bending moment and shear force diagram, bending stresses and deflection of beams. Shear stress distribution. Torsion of shafts, helical springs. Combined stresses, thick and thin-walled pressure vessels. Struts and columns. Strain energy concepts and theories of failure.

8. ENGINEERING MATERIALS :

Basic concepts on **structure of solids. Crystalline materials. Defects in crystalline materials Alloys and binary phase diagrams.** Structure and properties of common engineering materials

Heat treatment of steels. Plastics, Ceramics and composite materials. Common applications of various materials.

9. PRODUCTION ENGINEERING

Metal Forming : Basic Principles of forging, drawing and extrusion; High energy rate forming; Powder metallurgy.

Metal Casting : Die casting, investment casting, Shell Moulding, Centrifugal Casting, Gating and Riser design; melting furnaces.

Fabrication Processes : Principles of Gas, Arc, Shielded arc Welding; Advanced Welding Processes, Weld ability: Metallurgy of Welding.

Metal Cutting : Turning, Methods of Screw Production, Drilling, Boring, Milling, ?ar Manufacturing, Production of fiat. surfaces, Grinding and Finishing Processes, Computer Controlled Manufacturing Systems-CNC, DNC, FMS, Automation and Robotics. Cutting Tools Materials, Tool Geometry, Mechanism of Tool Wear, Tool Life and Mach inability; Measurement of cutting forces. Economics of Machining Processes. Jigs and Fixtures. Fits and tolerances, Measurement of surface texture, Comparators Alignment tests and reconditioning of Machine Tools.

10. INDUSTRIAL ENGINEERING :

Production Planning and Control : Forecasting – Moving average, exponential smoothing, Operations, scheduling; assembly line balancing. Product development, Break-even analysis, Capacity planning, PERT and CPM.

Control Operations : Inventory control ABC analysis, EOQ model, Materials requirement planning. Job design, Job standards, Work measurement, Quality Management – Quality analysis and control.

Operations Research: Linear Programming- Graphical and Simplex methods. Transportation and assignment models. Single server queuing model.

Value Engineering : Value analysis for cost/value.

11. ELEMENTS OF COMPUTATION :

Computer Organisation, Flow charting, Features of Common computer Languages – FORTRAN, d Base III, Lotus 1-2-3, C and elementary Programming,

11. आरक्षण का लाभ :-

(i) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 6763 दिनांक- 05.08.2016 के अनुसार) को झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(a) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-5682 दिनांक

22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-1 में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(b) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-11 (ननक्रीमीलेयर प्रमाण सहित) में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत वैध (Valid) एवं अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

- (iii) झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 11 (ii)(a) एवं (b) में उल्लेखित) इस विज्ञापन के साथ एवं आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular and Notices में उपलब्ध है।
- (iv) झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाणपत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न जाति प्रमाण पत्र से संबंधित विवरणी यथा प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि, अनुमंडल, जिला, राज्य एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा।
- (v) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- (vi) झारखण्ड राज्य के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से अलग प्राधिकार यथा अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (vii) केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (viii) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति हेतु दिनांक-22.10.2008 से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ix) कोटि का निर्धारण आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी।
- (x) शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण में अनुमान्य नहीं होगा।
- (xi) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 11 (ii) (a) एवं (b) में उल्लेखित) से अलग निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि में रखी जाएगी, यदि उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन हो। उदाहरण स्वरूप अनारक्षित कोटि के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है एवं यदि किसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1) कोटि के अभ्यर्थी की उम्र 35 वर्ष से अधिक होती है तो उन्हें अनारक्षित कोटि में नहीं रखा जाएगा तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (xii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (xiii) आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

- (xiv) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी-II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा:-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड

- (xv) निःशक्तता का लाभ :-

- (i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। बाद में निःशक्तता का दावा मान्य नहीं होगा।
- (ii) निःशक्तता का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 2249 दिनांक- 03.04.2018 के आलोक में कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा।
- (iii) निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 2249 दिनांक- 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र विज्ञापन के साथ संलग्न है।

12. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
- (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
- (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
- (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate
- (ii) **कदाचार के लिए कार्यवाही :-**
 ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।
- (iii) **पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-**
 वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
13. **परीक्षा शुल्क :-**
- (i) परीक्षा शुल्क **Credit Card/ Debit Card/ Internet Banking/ SBI Buddy/ SBI UPI/ Other Payment Mode(Challan)** के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किया जायेगा जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क **रु0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।
- (iii) **परीक्षा शुल्क में छूट-**
- (a) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क **रु0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- (b) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 2249 दिनांक- 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (iv) अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- (v) परीक्षा शुल्क **अप्रतिदेय (Non Refundable)** होगा।
- (vi) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।
- (vii) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-**
- (क) **Online** आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, परंतु कडिका-14(थ) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित **Hard Copy**

निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं तदनुसूचित समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देशों के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
- (घ) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व “How to apply” (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ङ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
- (च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.-0651/2213009 संपर्क किया जा सकता है।
- (छ) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (ज) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (झ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक/10वीं के प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित है।
- (ञ) जन्म तिथि- आवेदक के मैट्रिक/10वीं प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (ट) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, तकनीकी स्नातक (B.Tech/B.E.) अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी मैट्रिक/10वीं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो), भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो), खेलकूद प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अनिवार्य रूप से प्रविष्ट कर तदनुसूचित संबंधित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ कंडिका-14(थ) में दिये गये निदेशानुसार समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (ठ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ड) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ढ) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (ण) आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (त) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही-सही सूचना प्रविष्ट करते हुए प्रविष्ट किये गए सूचना के अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख (कण्डिका-14(थ) के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न कर निर्धारित तिथि तक समर्पित करेंगे। भूल सुधार/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

- (थ) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति (Hard Copy) संलग्न कर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे:-
- परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति।
 - जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक/10वीं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - तकनीकी डिग्री (B.Tech/B.E.) से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु)
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट तथा निःशक्तता दावा हेतु)
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)।
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत खेलकूद प्रमाण पत्र (खेलकूद कोटा में दावे के समर्थन में)।
 - ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक-12.11.2018 तक अनिवार्य रूप से "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-08/2018 तथा परीक्षा का नाम यथा-"सहायक अभियंता (नगर विकास एवं आवास विभाग) सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
 - निर्धारित तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।

15. अन्य शर्तें :-

- अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- साक्षात्कार आयोजन से पूर्व विज्ञापन में संशोधन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाणपत्र/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही-सही सूचना प्रविष्ट करते हुए अनिवार्य रूप से प्रविष्ट किए गए सूचना अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न करेंगे।

16. अंतिम तिथि :-

- आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक-14.09.2018 से 29.10.2018 अपराह्न 05:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से दिनांक-29.10.2018 अपराह्न 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

- (ग) दिनांक-29.10.2018 के बाद दिनांक-31.10.2018 तक लिक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (घ) आवेदक उक्त कंडिका-14(थ) के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति केवल स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा या हाथोंहाथ (कार्य अवधि में) इस प्रकार भेजे की दिनांक-12.11.2018 अपराहन 05:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 को अवश्य प्राप्त हो जाय।
- (ङ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अनुलग्नक- i. निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

ii. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि हेतु जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र (प्रपत्र-I)

iii. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि हेतु जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र (प्रपत्र-II/FORM-II)

ह0/-

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र-I

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र
(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :-

तिथि :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री, निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
....., डाकघर, थाना, जिला ..
....., राज्य अनुसूचित जाति */ अनुसूचित
जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत जाति/उप जाति के सदस्य हैं,
जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */ अनुसूचित जनजाति * के रूप में
मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी एवं/अथवा उनका/उनकी
परिवार साधारणतः गांव/कस्बा शहर जिला
..... राज्य में निवास करते हैं ।

स्थान :-

तिथि :-

हस्ताक्षर;

सक्षम पदाधिकारी का

नाम

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
 थाना जिला झारखण्ड के रहने
 वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त
 समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0(एस.सी. टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :-

नाम

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
- ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008 4450 दिनांक 01.08.2011, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO THE POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of _____ resident of Village/Town _____ P.S. _____ District _____ of Jharkhand belongs to the _____ community which is recognised as an Extremely Backward Class (Annexure-I)/Backward Class (Annexure-II) of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001*,**.

This is to also certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column-3 of the Schedule to the OM No.-36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993 of Department of Personnel & Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Languages vide Resolution No.-3482, dated 10.06.2002.

Place :-

Date :-

Signature of Competent Officer

Name

Post

(Official Seal)

(Note-Strike which is not applicable)

1. * Caste/Sub Caste enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001.
2. ** The castes included in the list of Extremely Backward Classes/Backward Classes under Section-2 of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001 vide Resolution No.-3885, dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6337 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2759 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2006, 5182 dated 26.09.2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5108 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, 697 dated 26.09.2011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.01.2012, 2855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं.

तारीख

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु
लिंग पहचान चिन्ह निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी
निःशक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फ़ोलिज़)

(I) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II) दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक
सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(I) बी-अंधापन

(II) पी बी - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(I) डी - बधिर

(II) पी डी - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती ।
..... वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|---|-----------|
| (I) एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (II) पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (III) एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (IV) के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (V) बी - झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (VI) एस - बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (VII) एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (VIII) डब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (IX) एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ /नहीं |
| (X) एच - सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं । | हाँ /नहीं |
| (XI) आर.डब्ल्यू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं । | हाँ /नहीं |

(डॉ)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डॉ)

अध्यक्ष

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।